

14/5
25

पत्रावली पैसा वकील वादी हाथिर
पत्रावली में दुर्ग में भी वकील
वादी को अनिम दिवायत की गई

धो कि आगामी पेशी पर
तामिल को रशीडे पेश करे
अन्यथा आदेश उ नियम उ के
तहत आदेश पारित किया
जायेगा लेकिन वकील वादी ने
आप्य दिनांक तक तामिल की
रशीडे पेश नहीं की। अतः
वादी का वाद आदेश उ नियम उ
के तहत खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल्य शुमार होकर
नम्बर से कम होकर दाखिल
दफतर हो।

उपसचिव अधिकारी
इंतारागढ़ (सीकर)